प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ: माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायमूर्ति

दाण्डिक अपील क्रमांक: 59/2003

अपीलार्थी गजेन्द्र राय, पिता – श्री रामजी सतनामी, उम्र - लगभग 20 वर्ष, निवासी – ग्राम भरुवागुंडा, थाना मुंगेली, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

विरुद्ध

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय की घोषणा के लिए सूचीबद्ध करें।

सही/-
न्यायाधीश
05-07-2009

सही-

आर.एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक: 59/2003

अपीलार्थी गजेन्द्र राय, पिता – श्री रामजी सतनामी, उम्र - लगभग 20 वर्ष, निवासी – ग्राम भरुवागुंडा, थाना मुंगेली, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

विरुद्ध

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा - थाना मुंगेली, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

(भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374(2) के अधीन प्रस्तुत दाण्डिक अपील)

एकलपीठ: माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:- अपीलार्थी की ओर से – श्री ए.एन. भक्त, विद्वान अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी /राज्य की ओर से – श्री ए.व्ही. श्रीधर, पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(6 जुलाई, 2009 को सुनाया गया)

1. यह अपील दिनांक 20-12-2002 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंगेली द्वारा सत्र वाद क्रमांक 85/2002 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके अंतर्गत अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है तथा उसे क्रमशः तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000/- रुपये के जुर्माने, जुर्माना का भुगतान न करने करने पर अतिरिक्त छह माह के कठोर कारावास, तथा एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 500/- रुपये के जुर्माने, जुर्माना का भुगतान न करने करने पर अतिरिक्त एक माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।
2. अभियोजन का प्रकरण, संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 13-11-2001 को, घटना के दिन, अभियोत्री (शिकायतकर्ता) मधु बंजारे ट्यूशन गई थी और लौटते समय अभियुक्त ने उसे आवाज

दी, जिस पर उसने मना कर दिया। अभियोत्री के इंकार करने पर अभियुक्त क्रोधित हो गया और उसने चाकू से प्रहार कर उसके सिर एवं पेट पर गंभीर चोटें पहुँचाई। लाला मिस्त्री (राजमिस्त्री) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के उपरांत अभियोत्री को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया, जहाँ उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बिलासपुर चिकित्सालय भेजा गया, जहाँ अभियोत्री को 3-4 दिन बाद होश आया। तत्पश्चात अभियुक्त से पूछताछ की गई तथा घटना स्थल से आयुध/हथियार जप्त किया गया। प्रथम दृष्टया, अभियुक्त द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन अपराध किया जाना पाया गया।

3. अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंगेली द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन आरोप निर्धारित किए गए और विचारण उपरांत, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दण्डित किया, जैसा कि निर्णय के उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित है।

4. अभियुक्त ने अपराध स्वीकार करने से इंकार किया और स्वयं को निर्दोष होना कथन किया। साक्षियों के कथनों के पूर्ण होने के उपरांत, अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध प्रकट परिस्थितियों का खंडन करते हुए स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फँसाया गया कथन किया। उसका कथन था कि दिनांक 12-11-2001 को वह अपने चाचा के घर ग्राम धोबनीकला में था। उसने अपने बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि गिरफ्तारी-पत्रक के अनुसार अभियुक्त की आयु 19 वर्ष दर्शाई गई थी, किन्तु निर्णय पत्रों में अभियुक्त की आयु 20 वर्ष अंकित है। अभियुक्त की आयु को देखते हुए, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कठोर कारावास की सजा नहीं दी जानी चाहिए थी। विद्वान् अधिवक्ता ने आगे यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि चिकित्स्कीय जाँच प्रतिवेदन देने वाले चिकित्सक ने चोट की गंभीरता के संबंध में कोई अभिमत नहीं दिया। चिकित्स्कीय जाँच प्रतिवेदन में पीड़ित (घायल) के पहचान चिह्नों का उल्लेख नहीं है, जो अभियोजन की ओर संदेह उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त चिकित्सक ने यह भी नहीं बताया कि उक्त चोट सामान्य स्थिति में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी, अतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन यह प्रकरण प्रथमदृष्टया विधि की दृष्टि से धारणीय नहीं है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि अभियोजन के अनुसार बाल(नाबालिग) साक्षी राजेश कुमार (अ.सा. /11) एक महत्वपूर्ण साक्षी है, किंतु विचारण कार्यवाही के दौरान राजेश कुमार, पीड़ित (घायल) कुमारी मधु की पहचान करने में असमर्थ रहा है। साथ ही, घटना स्थल के संबंध में राजेश एवं मधु द्वारा वर्णित कथन परस्पर विरोधाभासी हैं, जिससे अभियोजन की कहानी पर संदेह उत्पन्न होता है।

विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि पुलिस के समक्ष द.प्र.सं. की धारा 161 के अधीन दर्ज मधु का कथन एवं न्यायालय में किया गया कथन आपस में मेल नहीं खाते। विद्वान् अधिवक्ता ने आगे यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 16 में यह टिप्पणी की है कि चिकित्सक ने चोट की प्रकृति के संबंध में कोई राय नहीं दी, जो सामान्य स्थिति में किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण हो सकती थी। उनका अगला तर्क यह है कि अधीनस्थ न्यायालय, मुख्य साक्षी श्रीमती श्रद्धा सोनी, जहाँ मधु ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी, के कथन को देखने में असफल रही है कि घटना के दिन उन्होंने पढ़ाई नहीं कराई थी क्योंकि उस दिन वह नगर से बाहर थीं। जप्ती पत्रक में प्रश्नाधीन आयुध/हथियार खुले स्थान से जब्त किया गया था, जो विधि के अनुसार उचित नहीं है; अतः इस आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। अभियोजन के अनुसार घटना स्थल के निकट अनेक दुकानें और पड़ोसियों के मकान मौजूद हैं, किंतु उनमें से किसी को भी अभियोजन साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। विचारण न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध करने हेतु आवश्यक मानक साक्ष्य पर विचार करने में असफल रही और केवल अपने अनुमान के आधार पर दोषसिद्धि की है, जो विधि की दृष्टि से धारणीय नहीं है। विद्वान् अधिवक्ता ने अंत में यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि चूंकि घटना के समय अभियुक्त/अपीलार्थी की आयु 19 वर्ष थी, अतः अभियुक्त/अपीलार्थी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 6 का लाभ दिया जाना चाहिए। अंततः विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रकरण की समस्त परिस्थितियों और तथ्यों पर विचार करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाए और अभियुक्त/अपीलार्थी को आरोपों से दोषमुक्त किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी /राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया।
7. पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के पश्चात्, मैंने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों तथा आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया है।
8. अभियुक्त/अपीलार्थी का अपराध सिद्ध करने हेतु अभियोजन ने कुल 11 साक्षियों का परीक्षण कराया तथा 27 दस्तावेज़ अभिलेख पर प्रस्तुत किए।
9. मधु बंजारे (अ.सा. /1), अभियोत्री ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त की पहचान की और अपने कथनों में यह बयान दिया कि घटना दिनांक 13-11-2001 को प्रातः लगभग 10 बजे घटी तथा उसी दिन जब वह श्रद्धा दीदी के घर से ट्यूशन पढ़कर अपने घर लौट रही थी, तभी कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास अभियुक्त गजेन्द्र मिला। उसने उसे अपने पास बुलाया, जिस पर उसने इंकार कर दिया। इस पर अभियुक्त गजेन्द्र ने उसके सिर पर चाकू से वार किया, जिससे वह गिर पड़ी, तत्पश्चात् अभियुक्त ने उसके पेट पर भी दो बार चाकू से वार किया। उसने आगे कथन किया कि अभियुक्त हमला करते समय यह कह रहा था — "मैं तेरे कारण बदनाम हुआ हूँ।" प्राप्त

चोटों और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण वह बेहोश हो गई। उसे अपोलो चिकित्सालय, बिलासपुर में भर्ती किया गया, जहाँ उसका ऑपरेशन किया गया। घटना के समय पहने हुए उसके खून से सने वस्त्र, जिनमें चाकू के वार से छेद हो गए थे, अपोलो चिकित्सालय, बिलासपुर से जप्त किए गए। जप्ती पत्रक पंचनामा के "अ से अ" भाग पर अपने हस्ताक्षर होना उसने स्वीकार किया। घटना स्थल पर अभियुक्त/अपीलार्थी गजेन्द्र ने उससे यह भी कथन किया था कि उसके मामा ने उसके (अभियुक्त के) घर आकर "मारपीट" की थी। अभियोत्री ने अपने मामा का नाम अजीत बताया। प्रति-परीक्षण में अभियोत्री ने बचाव पक्ष द्वारा दिए गए लगभग सभी सुझावों का खंडन किया।

10. डॉ. अखिलेश्वर उरांव (अ.सा./4) ने यह बयान दिया कि वर्ष 1999 से वे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मुंगेली में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। दिनांक 13-11-2001 को उन्होंने घायल मधु का चिकित्सकीय परीक्षण किया, जिसे आरक्षक क्रमांक 213 यशवंत सिंह, थाना मुंगेली द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण हेतु आवेदन (प्रदर्श पी/3) सहित लाया गया था। अभियोत्री के चिकित्सकीय परीक्षण पर उन्होंने निम्नलिखित चोटें पाई—

(i) सिर के मध्य भाग में 14 से.मी. x 3 से.मी. x 1.5 से.मी. आकार का कटने से प्राप्त चोट/घाव।

(ii) नाभि से 3 से.मी. ऊपर पेट पर 2.5 से.मी. x 1 से.मी. x 10 से.मी. आकार का भेदने से प्राप्त चोट/घाव।

(iii) पेट पर 1 से.मी. x 0.5 से.मी. x 10 से.मी. आकार का भेदने से प्राप्त चोट/घाव, जो चोट क्रमांक 2 से 4 से.मी. ऊपर स्थित था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. चिकित्सक ने यह अभिमत व्यक्त किया कि उपर्युक्त चोटें किसी धारदार एवं नुकीले आयुध/हथियार से उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने आगे यह भी बताया कि ये चोटें गंभीर प्रकृति की थी तथा उनके परीक्षण से 3-4 घंटे पूर्व की थी। उन्होंने चोटों की एक्स-रे कराने की सलाह दी और प्राथमिक उपचार देने के उपरांत अभियोत्री को जिला चिकित्सालय, बिलासपुर हेतु संदर्भित किया। उन्होंने, कु. मधु के चिकित्सकीय परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/4) दिया और उसके "अ से अ" भाग पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया। दिनांक 27-11-2001 को उन्होंने आवेदन-प्रपत्र (प्रदर्श पी/5) पर, जब्त किए गए मधु के कपड़ों का परीक्षण किया और उन पर रक्त के धब्बे पाए। उन्होंने रक्त से सनी हुई चाकू का भी परीक्षण किया और यह अभिमत दिया कि अभियोत्री को आयी चोटें उसी से उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने आगे यह भी अभिमत दिया कि उपर्युक्त चोटें अभियोत्री की मृत्यु कारित करने हेतु सामान्य प्राकृतिक दशा में पर्याप्त थीं।

12. लाला मिस्त्री (राजमिस्त्री) (अ.सा./6) ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त की पहचान की और यह बयान दिया कि वह मधु को भी जानता है। दिनांक 13-11-2001 को प्रातः लगभग 9-

10 बजे, जब वह डॉ. बघेल का मकान राजमिस्त्री के रूप में बना रहा था, तभी ननका बंजारा एवं निलेश बंजारा वहाँ आए और उसे सूचना दी कि मधु कन्या स्कूल के पास पुल के नीचे अचेतावस्था में घायल पड़ी हुई है। उन्होंने यह भी कथन किया कि मधु को सिर एवं पेट में चोटें आई हैं। इस पर वह सनातन एवं कुलदीप के साथ घटना-स्थल की ओर गया, जहाँ उन्होंने देखा कि मधु रक्तरंजित अवस्था में अचेत पड़ी हुई है तथा उसके सिर एवं पेट पर चोटें लगी हैं। तत्पश्चात्, वे मधु को शासकीय चिकित्सालय ले गए और इस साक्षी ने पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/14) के "अ से अ" भाग पर तथा घटना-स्थल (मौका) नक्शा पंचनामा (प्रदर्श पी/15) पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। उसने आगे यह भी कथन किया कि उसे मोहल्ले के लोगों ने बताया था कि अभियोत्री को पूर्व दिवस पर अभियुक्त/अपीलार्थी ने छेड़ा था। साथ ही, मोहल्ले के ही व्यक्तियों से उसे यह भी ज्ञात हुआ कि अभियोत्री पर गजेंद्र ने ही हमला किया था।

13. राजेश कुमार (अ.सा. /11), जो लगभग 12 वर्ष की आयु का एक बाल(नाबालिग) साक्षी है, ने स्पष्ट रूप से अभियोजन की कहानी का समर्थन किया है तथा न्यायालय में अभियुक्त की पहचान की है, यद्यपि वह अभियुक्त का नाम नहीं जानता था। उसने यह बयान दिया कि घटना के समय वह अपने आँगन (बाड़ी) के पास, जो कन्या विद्यालय के निकट है, गोबर इकट्ठा कर रहा था। उसने आगे कथन किया कि एक लड़का और एक लड़की "बेशरम" की झाड़ियों के पास बैठे हुए थे। इस बाल(नाबालिग) साक्षी ने अभियुक्त की ओर संकेत करते हुए कथन किया कि यही वह लड़का है, जो लड़की के साथ बैठा था। उसने आगे कथन किया कि उस लड़के ने चाकू निकाला और लड़की के सिर एवं पेट पर प्रहार किया, जिससे रक्तस्राव प्रारंभ हो गया। रक्त देखकर वह भयवश वहाँ से भाग गया। इस बाल(नाबालिग) साक्षी, जो प्रत्यक्षदर्शी था, का बचाव पक्ष द्वारा विस्तार से प्रति-परीक्षण किया गया, किन्तु उसने बचाव पक्ष द्वारा दिए गए लगभग सभी सुझावों का खंडन किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. जहाँ तक अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह मुख्य तर्क है कि चिकित्सक अर्थात् अखिलेश्वर उरांव (अ.सा. /4) ने चोटों की गंभीरता के संबंध में कोई अभिमत नहीं दिया है, यह तथ्य चिकित्सकीय जाँच प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/4) से पूर्णत: स्पष्ट है कि चोटें गंभीर प्रकृति की थीं तथा यह बात उनके कथन के पैरा-2 से भी स्पष्ट होती है। चिकित्सक ने विशेष रूप से अपने बयान में न्यायालय द्वारा पैरा-5 में पूछे गए प्रश्न कि क्या मधु को लगी चोटें सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त थीं, का उत्तर “हाँ” में दिया है । अतः अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह कथन कि चिकित्सक ने चोटों की गंभीरता के संबंध में कोई अभिमत नहीं दिया है, निराधार है।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **म.प्र. राज्य विरुद्ध केदार यादव 2007 (1) विधि भास्वर 265, (सर्वोच्च न्यायालय)** के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया है––

"14. यह ध्यान देने योग्य है कि आरोपित अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का था। धारा 307 हत्या के प्रयास से संबंधित है। इसका प्रावधान इस प्रकार है––

"जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधी दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी वयक्ति को उपहति कारित हो जाये, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा, जैसा एतस्मिनपूर्व वर्णित है ।"

"15. इस धारा के अधीन दोषसिद्धि सिद्ध करने हेतु यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु कारित करने योग्य शारीरिक चोट अवश्य पहुँचाई गई हो। यद्यपि, अभियुक्त द्वारा पहुँचाई गई चोटों की प्रकृति, अभियुक्त के आशय के निर्धारण में सहायक हो सकती है, तथापि आशय का निर्धारण अन्य परिस्थितियों से भी किया जा सकता है, और कई मामलों में, वास्तविक चोटों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है। यह धारा अभियुक्त के कृत्य और उसके परिणाम के मध्य अंतर करता है, यदि हो। ऐसा कृत्य, आक्रांत(पीड़ित) व्यक्ति के संबंध में किसी परिणाम का कारक न भी बने, तथापि ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें अभियुक्त इस धारा के अधीन दोषी ठहराया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि आक्रांत(पीड़ित) को लगी चोट सामान्य परिस्थितियों में आक्रांत(पीड़ित) की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। न्यायालय को यह देखना होता है कि कृत्य, उसके परिणाम की परवाह किए बिना, उस आशय या ज्ञान तथा परिस्थितियों में किया गया था या नहीं, जिनका उल्लेख इस धारा में किया गया है। अपराध हेतु किया गया प्रयास दंडनीय होने के लिए अंतिम कृत्य होना आवश्यक नहीं है। यदि आशय विद्यमान हो और उसके क्रियान्वयन हेतु कोई प्रत्यक्ष कृत्य किया गया हो, तो यह विधि के अनुसार पर्याप्त है।"

"16. धारा 307 के अंतर्गत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए यह पर्याप्त है कि अभियुक्त के पास आशय विद्यमान हो और उसके क्रियान्वयन हेतु कोई प्रत्यक्ष कृत्य किया गया हो। यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु कारित करने योग्य शारीरिक चोट अवश्य पहुँचाई गई हो। यह धारा अभियुक्त के कृत्य और उसके परिणाम के मध्य अंतर करता है, यदि हो। न्यायालय को यह देखना होता है कि कृत्य, उसके परिणाम की परवाह किए बिना, उस आशय या ज्ञान तथा परिस्थितियों में किया गया था या नहीं। अतः धारा 307 भारतीय दंड संहिता के अधीन आरोपित अभियुक्त को केवल इस आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जा सकता कि आक्रांत(पीड़ित) को पहुँचाई गई चोटें केवल सामान्य चोट की प्रकृति की थीं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 6(1) यह उपबंधित करती है कि— "जब, 21 वर्ष से कम आयु वाला कोई व्यक्ति कारावास से (किन्तु आजीवन कारावास से नहीं) दण्डनीय कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है तब वह न्यायालय जिसने उस व्यक्ति को दोषी पाया है उसे कारावास से तब तक दण्डित नहीं करेगा जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता है कि मामले की परिस्थितियों को, जिनके अंतर्गत अपराध की प्रकृति और अपराध का चरित्र भी है, ध्यान में रखते हुए यह वांछनीय नहीं होगा कि उससे धारा 3 या धारा 4 के अधीन व्यवहार किया जाये और यदि न्यायालय अपराधी को कारावास का कोई दण्ड देता है तो वह वैसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा।"

17. वर्तमान मामले में, अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध आजीवन कारावास से दण्डनीय है, अतः अधिनियम, 1958 की धारा 6 का लाभ अभियुक्त/अपीलार्थी को प्रदान नहीं किया जा सकता।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **म.प्र. राज्य विरुद्ध सलीम @ चमारू एवं अन्य, 2006 (1) विधि भास्वर 14 (सर्वोच्च न्यायालय)** के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया है -

"6. अनुचित सहानुभूति दिखाकर अपर्याप्त दण्ड देना न्याय प्रणाली को अधिक क्षति पहुँचायेगा जो न्याय प्रणाली की कार्यकुशलता में जनता का विश्वास कमजोर करेगा और समाज ऐसे गंभीर ख़तरों के बीच लंबे समय तक टिक नहीं सकता। अतः प्रत्येक न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति तथा जिस प्रकार अपराध को निष्पादित या कारित किया गया है, इत्यादि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त दण्ड प्रदान करे। इस स्थिति को इस न्यायालय (माननीय सर्वोच्च न्यायालय) ने सेवका पेरुमल विरुद्ध तमिलनाडु राज्य (ए.आई.आर.1991 एस.सी. 1463) में स्पष्ट किया था।

7. प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर समुचित विचार करने के पश्चात, किसी अपराध के लिए दिए जाने वाले न्यायसंगत और उचित दंड निर्धारित करने हेतु, अपराध की गंभीरता बढ़ाने वाले एवं उसे कम करने वाले कारको/तत्वों तथा अपराध किन परिस्थितियों में किया गया, इन सभी को न्यायालय द्वारा वास्तव में सुसंगत तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष एवं संतुलित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऐसा संतुलन बनाना निस्संदेह एक कठिन कार्य है। यह बात अत्यंत उपयुक्त रूप से डेनिस कॉन्क्ले मक्गौथा विरुद्ध स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया (402 यू.एस. 183 = 28 एल. इडी. 2डी 711 (1971)) में इंगित की गई है कि ऐसी कोई त्रुटिरहित रूपरेखा या सूत्र संभव नहीं है जो अपराध की गंभीरता को प्रभावित करने वाली असीम विविध परिस्थितियों में न्यायसंगत और उपयुक्त दंड निर्धारित करने के लिए कोई युक्तिसंगत मानदंड प्रदान कर सके। ऐसी किसी त्रुटिरहित रूपरेखा के अभाव में, जो सार्थक रूप से अपराध की गंभीरता से संबंधित

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विभिन्न सुसंगत परिस्थितियों का युक्तिसंगत रूप से मूल्यांकन करने हेतु कोई उचित मानदंड प्रदान कर सके, विवेकाधीन निर्णय को न्यायसंगत रूप से विभिन्न रूप में निर्धारित किया जा सकता है।"

19. जहाँ तक अपीलार्थी के पक्ष में उनके विद्वान् अधिवक्ता द्वारा उठाए गए घटना-स्थल सम्बंधी तर्क का सवाल है, यह उल्लेखनीय है कि अभियोत्री मधु (अ.सा./1) और बाल (नाबालिग) साक्षी राजेश कुमार (अ.सा./11) दोनों ने बयान दिया है कि घटना कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास हुई थी। अतः उनके बयानों में जो अंतर या असमानता पाई गई है, वह इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि अभियोजन के मामले को नकार सके। इसके अतिरिक्त, अपोलो चिकित्सालय, बिलासपुर की चिकित्सकीय जाँच प्रतिवेदन और चिकित्सक अखिलेश उरांव (अ.सा./4) द्वारा प्रस्तुत चोटों के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि अभियोत्री मधु को लगी चोटें गंभीर प्रकृति की थीं और सामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। अतः अभियोत्री मधु (अ.सा./1) और बाल(नाबालिग) साक्षी राजेश कुमार (अ.सा./11) के बयानों में जो असंगति हुई है, वह इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि अभियोजन के पूरे मामले को खारिज कर दिया जाए।

20. उपरोक्त कारणों और मामले के सभी तथ्यों व परिस्थितियों के आलोक में, मैं यह सुनिश्चित अभिमत रखता हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय किसी भी अवैधता, दुर्बलता या अनियमितता से ग्रस्त नहीं है, जो अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता उत्पन्न करे। अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दण्डित करते समय साक्षियों के कथनों का उचित आकलन किया है, जैसा कि ऊपर वर्णित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. अतः, अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जानी योग्य है और इस प्रकार अपील खारिज की जाती है।

सही/-

आर.एन. चंद्राकर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Prashant Kumar

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur